

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1172 / 2024

दिनांक 22.03.2024

श्री अजय कुमार शर्मा-II (RJ0265), तत्कालीन न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी हाल सेवानिवृत्त अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग को दिनांक 15.02.2024 से 19.02.2024 तक 05 दिनों का प्रावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गकरण)
22.03.2024

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/87/1996/2374

दिनांक 22.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी को उनके पत्रांक 211 दिनांक 20.02.2024 के सन्दर्भ में।
- श्री अजय कुमार शर्मा-II (RJ0265), सेवानिवृत्त अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग, डी-51, मालवीय नगर, गौरव टॉवर के पास, जयपुर - 3020217
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी।

22.03.2024
सहायक रजिस्ट्रार